न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 83 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांटस

रेस्पोडेंटगण

1. ओमा पुत्र बुधाराम 2. श्यामा पुत्र बुधाराम 3. धनीदेवी बेवा बुधाराम जातियान भील निवासी छाछरलाई कला तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर	1. बबु पुत्र परवुराम 2. श्रवण पुत्र परवु 3. सुनिल पुत्र परवुराम 4. जसोदा पुत्री परवुराम 5. लक्ष्मणराम पुत्र चुतराराम 6. किरण पत्नी सुखराम 7. देवेन्द्र पुत्र सुखराम 8. ललीत पुत्र सुखराम 9. अणची पत्नी कानाराम 10. ओमप्रकाश पुत्र कानाराम 11. अशोक पुत्र कानाराम 12. मंजु पुत्री कानाराम 13. गुडडी पुत्री कानाराम 14. मांगीलाल पुत्र मिंडाराम 15. शंकर पुत्र मिण्डाराम उर्फ मोडिया 16. राम प्रदीप पुत्र राजु पुत्र शिवलाल 17. मिसरा पुत्र रूघनाथ 18. पुनमा पुत्र रूघनाथ 19. रामाराम पुत्र रूघनाथ 20. तुलछीराम पुत्र रूघनाथ 21. पुखराज पुत्र बंशी 22. कालुराम पुत्र बंशी 23. भोमी पुत्री बंशी 24. संतोष पुत्री बंशी 25. सोनी पुत्री बंशी 26. ममता पुत्री बंशी 27. प्रेम पुत्री बंशी 28. जबरा पुत्र छोटा 29. देवा पुत्र छोटा जातियान भील सभी निवासीयान छाछरलाई कला उपतह. कल्याणपुर तह पचपदरा जिला बाड़मेर 30. राजस्थान राज्य जरीये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 89 / 2019 बअनवान बाबु वगै. बनाम शंकर वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

दिनांक 31.08.2021 व प्राथमिक डिक्री दिनांक 26.08.2021 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री अचलाराम थोरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री रामसिंह राजपुरोहित रेसपोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 23.08.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद बावत बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष का प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 238 रकबा 32.15 बीघा धतरवालों की ढाणी, पटवार सर्कल सरवड़ी एवं खेत खसरा संख्या 110 रकबा 96.01 बीघा, खसरा संख्या 112 रकबा 41.04 बीघा मौजा छाछरलाई कला कुल रकबा 180 बीघा में 1/2 हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 03 ता 15 का है, उक्त हिस्सा बंटवाड़ा किया जावे। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण की और से प्रस्तुत वाद पत्र में वादीगण ने जानबूझकर अपीलांट संख्या 03 आवश्यक पक्षकार होने के उपरांत भी अपीलांट संख्या 03 को पक्षकार नहीं बनाया है जबकि अपीलांट संख्या 03 वादग्रस्त कृषि भूमि की रेकर्डेड खातेदार है, जिससे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से अपीलांट के हक प्रभावित हो रहे है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश हस्तगत वाद पत्र चलने योग्य कभी नहीं था, क्योंकि पूर्व में दो वाद पत्र वाद संख्या 104/2005 व वाद पत्र संख्या 57/2013 दायर होकर गुणावगुणों पर न्यायनिर्णित हो चुके थे, जिसमें पारित निर्णय व डिक्रियां के प्रभावी रहते वाद पत्र चलने योग्य नहीं था, इसके अलावा वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि के जो हिस्से मांगे गये वो हिस्से नहीं होकर हिस्से आपसी राजीनामा डिक्री में तय माफिक है, जिसके विपरित न तो कथन किया जा सकता है न अन्य किसी प्रकार की पश्चातवर्ती डिक्री जारी की जा सकती है। वर्तमान प्रकरण एक युक्तिसंगत प्रकरण

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

है, जिसमें माननीय न्यायालय का विधिक हस्तक्षेप आवश्यक है, यदि ऐसे युक्तिसंगत मामले में अपीलीय न्यायालय के द्वारा विधिक हस्तक्षेप नहीं किया जाता है तो अपीलांटगण के विधिक हक प्रतिकूल रूप से प्रभावी होंगे, परिणाम स्वरूप अपीलांट अपने हक, हिस्से की भूमि से वंचित रह जायेगे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि वादीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 238 रकबा 32.15 बीघा धतरवालों की ढाणी, पटवार सर्कल सरवड़ी एवं खेत खसरा संख्या 110 रकबा 96.01 बीघा, खसरा संख्या 112 रकबा 41.04 बीघा मौजा छाछरलाई कला कुल रकबा 180 बीघा में 1/2 हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 03 ता 15 का है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा की गई। अपीलाधीन आराजी को लेकर अन्य कोई दावे पेश हुए हो तो समय पक्षकारों को कोई जानकारी में नहीं है। अतः अपीलांटगण की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि हस्तगत वाद में अपीलांट संख्या 03 को वादीगण द्वारा जानबुझकर पक्षकार संयोजित नहीं किया गया जबकि अपीलांट संख्या 03 अपीलाधीन आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन नहीं किया गया। न तो वाद में तनकीयात कायम की गई है और न उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली गई है तथा निर्णय भी एकतरफा पारित किया गया है। अपीलांटगण को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांट की अपील को वाद

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिगाण्ड करना उचित होगा।

लिहाजा अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 89/2019 वअनवान वावु वगै. बनाम शंकर वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.08.2021 व प्राथमिक डिक्री दिनांक 26.08.2021 को निरस्त कर मामला इस निर्देष के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थिया के द्वारा प्रस्तुत वाद में तनकीयात कायम कर, उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली जाकर वाद समुचित सुनवाई गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.10.2022 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 23.08.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर